



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-727

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 324310 दिनांक 10/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kapil Choudhary S/o Vijay Kumar Choudhary	श्रीमती अंजू अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल	83	45.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA Sector/Block-B	Name Transfer	श्री कपिल चौधरी पुत्र श्री विजय कुमार द्वारा भूखण्ड संख्या बी-83, रामनगरिया योजना का नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या बी-83, क्षेत्रफल 45 व.मी. रामनगरिया योजना की लीज डीड दिनांक 20.12.2000 को जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का जरिये रजिस्टर्ड मुख्तियारनामों एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर दिनांक 22.05.2007 को श्री लाल चन्द आसवानी पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार के पक्ष में जविप्रा द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								जारी किया गया। श्री लाल चन्द आसवानी द्वारा श्री कपिल चौधरी पुत्र श्री विजय कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड मुख्तयारनामाआम दिनांक 27.07.2009 को नियुक्त किया गया। श्री कपिल चौधरी पुत्र श्री विजय कुमार (मुख्तयारआमहिता) द्वारा श्री कपिल चौधरी पुत्र श्री विजय कुमार के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2012 के द्वारा बेचान किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kapil Choudhary S/o Vijay Kumar Choudhary को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।